

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020—आश्विन 17, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 1-01/2020/10-भा.व.से.—श्री राजेश गोवर्धन, भा.व.से. (1986) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31-08-2020 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

श्री राजेश गोवर्धन, भा.व.से. (1986) की सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री देवाशीष दास, भा.व.से. (1987) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्रमांक 1618/1224/2019/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम-1966 के नियम-6(ए) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-3 में दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (Senior Time Scale) Level 11 of the Pay Matrix Rs. 67,700-2,08,700 में नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अरविन्द पी. एम. (2015)	01-01-2019
2.	श्री मनीष कश्यप (2015)	01-01-2019
3.	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन (2015)	01-01-2019
4.	श्री रंगनाथा रामाकृष्णा बाय. (2015)	01-01-2019
5.	श्री संदीप बलगा (2015)	01-01-2019
6.	श्री कुमार निशांत (2016)	01-01-2020
7.	श्री मयंक अग्रवाल (2016)	01-01-2020
8.	श्री पंकज कुमार कमल (2016)	01-01-2020

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 सितंबर 2020

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-06-2020 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24” में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की कंडिका-15 “औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान” के कंडिका 15.24 में “बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 06 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आने पर” को “बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 18 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आने पर” से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ये संशोधन दिनांक 01-06-2020 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 14 अगस्त 2020

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	सालहेभाठ प.ह.नं. 02	5759	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नगरी, जिला- धमतरी.	नवापारा - बुढ़ेनी - परसवानी - मगरलोड- मोंहदी-बोरसी-भोयना मार्ग चौड़ीकरण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जय प्रकाश मौर्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 4 जुलाई 2020

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
 - (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-जनकपुर
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

क्रमांक/2584/वा./भू.अ./प्र.क्र./09/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399	0.06
400/1	0.28
400/2	0.10
401	0.14

(1) (2)

410 0.03

योग 05 0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जनकपुर तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक/2618/वा./भू.अ./प्र.क्र./01/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-दशपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

208/1	0.04
287/2	0.12
280/2	0.02
285/2	0.14
285/1	0.09

योग 05 0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांकेर आवर्धन जल प्रदाय योजना इन्टेकवेल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक/2619/वा./भू.अ./प्र.क्र./26/अ-82/2016-17.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-सिंगारभाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

207/2घ 0.70

योग 01 0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हटकुल व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-9/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-प्रधानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/3ग	0.016
200/1ज	0.005
208/1ढ	0.486
208/1ड.	0.430
196/4	0.038
226/2	0.025
176/2क	0.020
176/1	0.071
200/1च	0.006
226/5	0.024
176/2ख	0.020
200/1छ	0.005
226/4	0.024
119/2	0.080
योग	14
	1.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-मचलाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
460	0.089
543/4	0.101
544/5	0.012
योग	3
	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बरदुला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1133/3	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
1073/2	0.088	1266/2	0.068
1064/3क	0.040		
1091/3	0.081	योग	48 3.256
1100/6	0.073		
1119/2	0.105	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला	
1120/3ख	0.236	व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.	
264/2क	0.033	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़	
1128/4	0.033	के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
1135/2	0.029		
1268/2, 1268/4क	0.041		
1320/3	0.089		
1267/1	0.022		
1098/2	0.044	रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020	
1173/1क	0.028		
1091/1ख	0.040	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य	
1092/1	0.116	शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	
1100/2क	0.045	पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
1119/3	0.075	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन,	
1120/2	0.012	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
1120/3	0.024	अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013	
1133/6	0.036	कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया	
1136/1ख	0.012	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
1268/2, 1268/4ख	0.040		
1304/4	0.048	अनुसूची	
1137/1	0.073		
1079	0.061	(1) भूमि का वर्णन-	
1091/1क	0.045	(क) जिला-रायगढ़	
1100/1	0.073	(ख) तहसील-सारंगढ़	
1100/2ख	0.032	(ग) नगर/ग्राम-गन्तुली बड़े	
1119/4ख	0.069	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.771 हेक्टेयर	
1120/4क	0.083		
1100/3	0.024	खसरा नम्बर	रकबा
1119/5	0.210		(हेक्टेयर में)
1136/1क	0.072	(1)	(2)
1299/3	0.097		
1266/1	0.068	868/3	0.024
1303/1	0.053	870/1	0.016
1064/3ख	0.028	874/2	0.054
1091/2	0.065	895/3	0.020
1100/5	0.016	898/2	0.041
1119/1	0.141	899/3	0.032
1119/4क	0.137	868/4	0.054
1120/4ख	0.083	868/6	0.024
1121/2क	0.089	594/1	0.020
1133/2	0.192	895/4	0.045
1265/3	0.025	898/4	0.020
1299/2	0.061	899/2	0.032

(1)	(2)
872/3	0.024
870/2	0.024
894/2	0.020
895/2	0.040
898/3	0.032
868/5	0.055
872/2	0.061
895/1	0.020
898/1	0.053
899/1	0.060
योग	22 0.771

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-13/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-गन्तुली छोटे
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157/5	0.061

(1)	(2)
45/4	0.053
योग	2 0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-तमनार
(ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/1	0.122
46	0.016
38/1घ	0.040
38/1ख	0.051
45/9	0.080
48/1	0.011
50/7	0.015
50/8	0.073
73/11	0.029
20/4	0.039
553/2/क	0.050
20/14	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
26/8	0.022	228/1	0.089
20/5	0.122	256/2	0.235
20/13	0.060	229/1	0.016
26/7	0.040	259/1	0.040
20/11	0.076	236/1	0.093
74/2/ग	0.208	47/1	0.001
73/2	0.113	236/3	0.061
74/2/क	0.069	257/4	0.061
74/2/ख	0.061	258/1	0.057
552/5/ख	0.140	511/7	0.058
175/1	0.072	553/2/ख	0.091
87/3	0.040	511/8/ख	0.010
77/2	0.025	511/8/क	0.012
173/1	0.142	511/10	0.004
175/5	0.076	192/3, 193/3	0.020
181/3	0.001	511/9	0.045
171/1	0.097	513/3	0.040
169/2, 170/2	0.020	557/1	0.059
181/6	0.041	556/1	0.174
180/2	0.064	552/5/क	0.140
553/1/ख	0.280	553/3/क	0.060
175/2	0.016		
181/7	0.086	योग	65 4.345
175/3	0.072		
226/2	0.139	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी.	
227/1	0.138	तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु.	
227/2	0.024		
190/3	0.049	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
190/2ख, 191/2	0.001	(रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
230/1	0.048		
225/1	0.011	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
553/3/ख	0.080	भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 29 जून 2020

क्रमांक/903/वर्तमान भू.उप./नग्रानि/2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पुनर्गठित भखारा निवेश क्षेत्र के लिए ग्राम भेलवाकुदा, पचपेड़ी, टिपानी, तरागोंदी, हंचलपुर, कोर्वा, इर्रा, चरौटा, लोहारपथरा, भेण्डा भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी 01 प्रति कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.) एवं नगर पंचायत भवन भखारा के कार्यालयों में दिनांक 29-06-2020 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.) द्वारा विचार किया जायेगा।

स्थान —

दिनांक —

No./903/वर्तमान भू.उप./नग्रानि/2020.— Notice is hereby given that the existing land use maps and register of villages Bhelwakuda, Pachpedi, Tipani, Tarragondi, Hanchalpur, Korra, Erra, Charota, Loharpathra, Bhendra for the Extended Bhakhara Planning area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the chhattisgarh nagar tatha gram nivesh adhiniyam 1973 (no. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 29-06-2020 in the office of collector Dist-Dhamtari, Assistant Director Town and Country Planning Dhamtari and Nagar Panchayat Bhavan Bhakhara during office hours on working days.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Dhamtari or at the Exhibition place within a period of thirty days from the date of publication of the notice in “Chhattisgarh Gazette.”

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Assistant Director, Town and Country Planning Dhamtari (C.G.).

Place —

Date —

सुश्री ललिता धुर्वे,
सहायक संचालक.

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 7 जुलाई 2020

शुद्धि पत्र

क्रमांक/249/ELU/दल्लीराजहरा/नग्रानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के तहत दल्लीराजहरा वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 01 मई 2020 के भाग (1) में प्रकाशित किया गया है। उक्त सूचना की अंग्रेजी प्रति में निवेश क्षेत्र का नाम Dallirajhara के स्थान पर त्रुटिवश Gunderdehi अंकित हो गया है।

अतः दिनांक 01 मई 2020 को प्रकाशित सूचना की अंग्रेजी प्रति में अंकित Gunderdehi के स्थान पर Dallirajhara पढ़ा जाये।

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.